कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः–एफ 14( )एफसीए/उवसं/2018–19/ 9516

निमित्त, दिनांक :– 12.10.18

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जिला खण्ड, अजमेर।

विषय:– Diversion of 0.592 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Public Works Department, Ajmer for construction of mising link road between village Boraj to Existing Chamunda Mata Road in Ajmer district, Rajasthan.

संदर्भ:– राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक पं.1(62)वन/2018 दि.05.10.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी हैं। अतः पत्र में उल्लेखित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताःकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र.सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक पं.1(62)वन/2018 दिनांक 05.10.2018 को जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त संख्या 9 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों की 10 गुणा संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी (ऑनलाईन सबमिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ फोरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस पोर्टल) द्वारा सृजित ई चालान से जमा की जावेगी।	**230000**	राशि रू. 600592/–को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
2	शर्त संख्या 9 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010/कैम्पा दि.09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां, प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी (ऑनलाईन सबमिशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ फोरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस पोर्टल) द्वारा सृजित ई चालान से जमा की जावेगी। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही प्रकरण मे विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	0.592x626000= **370592**	
	कुल योग	**600592/-**	
3	प्रस्तावों अनुसार वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में **500mtr Length X 2400 per rmt=12,00,000/-** रूपये सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु राशि जमा करायी जायेगी। उक्त राशि का डी.डी. उप वन संरक्षक, अजमेर (Deputy Conservator of Forest, Ajmer) के नाम भिजवावें।	12,00,000/-	

क्र.सं. 1 व 2 की राशि 6,00,592/– रूपये तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान द्वारा जमा करावें एवं क्र.सं. 3 की राशि 12,00,000/– का डी.डी. उप वन संरक्षक, अजमेर (Deputy Conservator of Forest, Ajmer) के नाम भिजवावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :– सम / दिनांक :–

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
अजमेर

D:\STORE/